

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बस्तर जिला, जगदलपुर

// ज्ञापन //

क्रमांक क/रीडर/अनापत्ति पत्र/2014
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 24/12/2014

कार्यपालन अभियंता,
छ0ग0गृह निर्माण मण्डल,
संभाग-जगदलपुर।

विषय :- ग्राम चोकावाड़ा में अटल विहार योजना अंतर्गत राजस्व वन भूमि का प्रत्यावर्तन के संबंध में अनापत्ति पत्र बाबत।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 1989/का0अभि0/तक0शा0/2014 दिनांक 22/11/2014.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। आपके द्वारा ग्राम चोकावाड़ा, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 19 रकबा 6.70 हे० पर अटल विहार योजना अंतर्गत आवासीय कालोनी हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि की श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है।

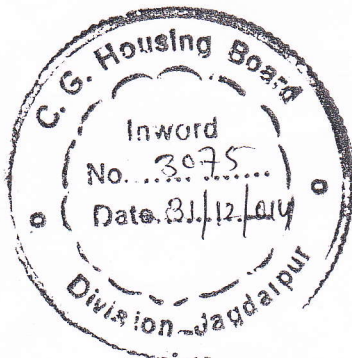
अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि को नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है, तो इस विभाग/कार्यालय को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

पृ०क्रमांक क/रीडर/अनापत्ति पत्र/2014

प्रतिलिपि :-

जगदलपुर, दिनांक 24/12/2014

वन मण्डलाधिकारी, बस्तर वन मंडल (सा०), जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।



कलेक्टर,
जिला बस्तर